

जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, मोड़डा।

सी.सी.एच. केश को-18/2024-25

सरकार

बनारस

परवेज अंसारी

— आदेश —

विशेषी को और से दायित्व कारण-पुनरा एवं अभिलेख का
अवलोकन किया।

वर्तमान बाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, मोड़डा के पत्रंक-
422/सी.सी.एच. दिनांक-18.12.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर
पारस्व किया गया है। पुलिस अधीक्षक, मोड़डा ने मोड़डा(मु.) आगा के
अपरवाकभी परवेज अंसारी, पिता-समाजस अंसारी, साठ-विवादाब, आगा-
मोड़डा(मु.), जिला-मोड़डा, जो झारखण्ड अपराध निगंत्रण अधिनियम 2002
(1984) की धारा-2(1) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के
विरुद्ध झारखण्ड अपराध निगंत्रण अधिनियम 2002(1984) की धारा-
3(1)(ख)(ग)(घ) के अन्तर्गत आगा हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक, मोड़डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकभी परवेज अंसारी,
पिता-समाजस अंसारी, साठ-विवादाब, आगा-मोड़डा(मु.), जिला-मोड़डा एक
असामाजिक तत्व है जिसके द्वारा लम्बे अरसे से मोड़डा(मु.) आगा क्षेत्र में
अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के भट्काओं को अंजाम
दिया है, जिसे देखते-देखते आगा कारक सं-14/2020 दिनांक-18.03.2020
धारा-288 भादवादि में विरस्तार कर आन्तरीय न्यायिक हिरासत में भेजा गया
था, जो वर्तमान में आन्तरीय न्यायालय, मोड़डा से सम्मानत पर मुक्त है।

आगे प्रतिवेदन है कि यह एक परिभाषित असामाजिक तत्व है,
जिसका कार्य समस्त में असमरता फैलाना, प्राप्ति को समाप्त करने हेतु
सूट/हकीमी/सोरी/पुनर्भेदन/भिवतई एवं रंगदारी मांगना जैसे कई कार्य
अकित किये गये हैं, जिसका लक्ष्य अनुभूत पुलिस प्रदाधिकारी, मोड़डा
के प्रस्ताव में किया गया है। इसके विरुद्ध मोड़डा(मु.) आगा अन्तर्गत कारक के
असमने असामाजिक यतिविधि के लिए सहा भी दर्ज किया गया है। इसके
बाहर रहने से लोक व्यवस्था पूरी तरह से भंग होने की संभावना बनी हुई है।
इसलिए अपराधकभी परवेज अंसारी, पिता-समाजस अंसारी, साठ-विवादाब,
आगा-मोड़डा(मु.), जिला-मोड़डा को झारखण्ड अपराध निगंत्रण अधिनियम
2002(1984) की धारा-2(1) के अन्तर्गत आगा हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है।

2002 (1981) की धारा-3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए थाना हाजिरी कर निगरानी रखना अति आवश्यक है। इसके बाहर रहने से गोड्डा(मु0) थाना क्षेत्र के आस-पास के गाँव एवं थाना क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी भय का माहौल बना हुआ है, जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतएव आम लोगों पर भयाक्रांत खौफ, दहशत देखने को मिल रहा है। इसका पुष्टि गोड्डा(मु0) थाना में दर्ज सन्हा से प्रतीत होता है, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। इनके विरुद्ध दर्ज किये गये आपराधिक इतिहास निम्नांकित है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा में विचाराधीन है तथा सभी काण्डों में आरोप पत्र समर्पित किये जा चुके हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अंकित है।

आपराधिक इतिहास :-

1. देवडांड थाना काण्ड सं0-14/2020 दिनांक-16.03.2020 धारा-395 भा0द0वि
2. गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0-11/2017 दिनांक-22.01.2017 धारा-386 भा0द0वि0
3. सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0-29/14 दिनांक-14.06.2014 धारा-396 भा0द0वि0
4. बोआरीजोर (ललमटिया) थाना काण्ड सं0-109/10 दिनांक-30.10.2010 धारा-384/386/387/34 भा0द0वि0

वर्तमान में उक्त के विरुद्ध दर्ज सन्हा :-

1. गोड्डा(मु0) थाना सन्हा संख्या-08/24 दिनांक-13.10.2024
2. गोड्डा(मु0) थाना सन्हा संख्या-06/24 दिनांक-15.10.2024
3. गोड्डा(मु0) थाना सन्हा संख्या-42/23 दिनांक-09.06.2023

आगे प्रतिवेदन में उल्लेख है कि थाना प्रभारी सशस्त्र बल के साथ पुलिस जीप से संध्या गश्ती, थाना क्षेत्र भ्रमण, दागी/फिशारी, अभियुक्तों, अपराधियों पर निगरानी, आमसूचना संकलन बाद थाना वापस आये, जिसके दौरान ग्राम सरौनी बाजार में इनको एक व्यक्ति डरते-डरते आकर बताया कि अपराधी परवेज अंसारी एवं शंकर साह हाल ही में जेल से छुटकर आये हैं, जिसके आतंक से लोग भयाक्रांत है। इन दोनों के डर से इनके विरुद्ध पुलिस को कोई सूचना देना नहीं चाहता है, आम जन-जीवन त्रस्त हो गया है तथा लोक व्यवस्था भंग होने की स्थिति है। दर्ज काण्डों एवं

सन्हा से यह स्पष्ट है कि परवेज अंसारी, पिता-सनाउल अंसारी, सा0-चिनाढाब, थाना-गोड्डा(मु0), जिला-गोड्डा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा-2 (डी) में परिभाषित असमाजिक तत्व है। जिनका मुख्य कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों का भयादोहन करना, रंगदारी वसूलना, अपराधिक घटनाओं को अंजाम देना इत्यादि है। यह अपराधी जेल से जमानत पर छुटकर बाहर आया है। इनके जेल से छुटने पर गोड्डा(मु0) थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों के लोगों में भय व्याप्त है तथा इनके घर पर अक्सर संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आमजनों में भय का माहौल बन गया है। इनके भय को आमजनों में कम करने के लिए इनकी निगरानी रखना आवश्यक है। जिसके लिए इन्हे थाना पर हाजिरी कराकर निगरानी रखने पर आमजनों में दहशत का माहौल नियंत्रण रहेगा। उक्त अपराधकर्मी के विरुद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने से आम जनता के मनोबल में वृद्धि होगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा जो गोड्डा(मु0) थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने उक्त असामाजिक तत्व परवेज अंसारी, पिता-सनाउल अंसारी, सा0-चिनाढाब, थाना-गोड्डा(मु0), जिला-गोड्डा को लोक हित में निगरानी रखने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा-3(i)(v)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने की अनुशंसा की है।

विपक्षी की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि विपक्षी पर वर्तमान काण्ड गाँव के राजनीति के कारण दर्ज किया गया है। 2020 के बाद विपक्षी पर किसी प्रकार का कोई काण्ड दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए वर्तमान प्रक्रिया को समाप्त करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि परवेज अंसारी, पिता-सनाउल अंसारी, सा0-चिनाढाब, थाना-गोड्डा(मु0), जिला-गोड्डा एक अपराधकर्मी है। विपक्षी के विरुद्ध देवडांड थाना काण्ड सं0-14/2020 दिनांक-16.03.2020 धारा-395 भा0द0वि, गोड्डा नगर थाना काण्ड सं0-11/2017 दिनांक-22.01.2017 धारा-386 भा0द0वि0, सुन्दरपहाड़ी थाना काण्ड सं0-29/14 दिनांक-14.06.2014 धारा-396 भा0द0वि0 एवं बोआरीजोर (ललमटिया) थाना काण्ड सं0-109/10 दिनांक-30.10.2010 धारा-384/386/387/34 भा0द0वि0 तथा गोड्डा(मु0) थाना सन्हा संख्या

-08/24 दिनांक-13.10.2024, गोड्डा(मु0) थाना सन्हा संख्या-06/24 दिनांक-15.10.2024 एवं गोड्डा(मु0) थाना दैनिकी सन्हा संख्या-42/23 दिनांक-09.06.2023 सन्हा दर्ज है। विपक्षी के जेल से बाहर रहने से लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं एवं इनके द्वारा शांति भंग भी की जा सकती है। चूँकि विपक्षी की ओर से दाखिल कारण-पृच्छा संतोषप्रद नहीं है, जिसे खारिज किया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेण संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा-3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत परवेज अंसारी, पिता-सनाउल अंसारी, सा0-चिनाढाब, थाना-गोड्डा(मु0), जिला-गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे आदेश की तिथि से दिनांक-30.01.2025 तक (दिनांक-20.11.2024 मतदान की तिथि को छोड़कर) लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :-

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह - 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम - 04 बजे से 06 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन श्री कुमार गौरव, थाना प्रभारी, गोड्डा (मु0), मो0 नं0-9431134782 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, गोड्डा (मु0) को आदेश दिया जाता है कि वे परवेज अंसारी का प्रत्येक दिन (दिनांक-20.11.2024 को छोड़कर) का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार दिनांक-30.01.2025 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, गोड्डा (मु0) को देंगे तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

185
01/11/24